सुश्री एक्स

बनाम

झारखंड राज्य और अन्य

(2019 की रिट याचिका

(सिविल) संख्या 1352) 20 जनवरी, 2021

[अशोक भूषण**,** आर**.** सुभाष रेड्डी और एम**.** आर**.** शाह**,** न्यायाधीशगण **]**

महिलाओं के खिलाफ अपराधः

बलात्कार पीड़ित-पुनर्वास-अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका-पीड़ित द्वारा-पुनर्वास की मांग-यह आरोप लगाते हुए कि कई लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया जिसके लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई-उसके पास अपने तीन बच्चों के साथ जीवित रहने का कोई साधन नहीं है और वह अपने बच्चों को शिक्षा देने में सक्षम नहीं है-बलात्कार पीड़ित के रूप में उसकी पहचान मीडिया द्वारा प्रकट की गई है-प्रशासन, मीडिया और समाज पर आरोप लगाया गया है कि वह उसे बिना किसी सुरक्षा, नौकरी और बिना किसी आश्रय के जीवन जीने के लिए विवश करता है। अभिनिर्धारित: याचिकाकर्ता एक बलात्कार पीड़ित है और इसलिए सभी अधिकारियों द्वारा बलात्कार पीड़ित के रूप में व्यवहार की हकदार है-संबंधित राज्य में पहले से ही एक वैधानिक योजना लागू है। 35 क दंड प्रक्रिया संहिता मुआवजे के अनुदान के लिए और याचिकाकर्ता को योजना के अंतर्गत मुआवजे का भुगतान पहले ही किया जा चुका है-संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता के नाबालिग बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक निशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय करें और किसी भी केंद्रीय या राज्य योजनाओं के अंतर्गत आवास के आवंटन के लिए उसके मामले पर भी विचार करें-पुलिस को समय-समय पर उसे प्रदान की गई पुलिस सुरक्षा की समीक्षा करने का निर्देश दिया जाता है-विधिक सेवा प्राधिकरण को उसे विधिक सेवाएं प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है जो उचित समझा जाए-झारखंड पीड़ित मुआवजा योजना, 2012-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -धारा 357 क।

दंड संहिता, 1860:

धारा 228-क -बलात्कार पीड़ित की पहचान का प्रकटीकरण-एक अपराध है-मीडिया (प्रिंट के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक) सहित सभी को विधि का पालन करना होगा।

याचिका का निपटारा करते हुए**,** न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया**:1.1** इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता बलात्कार पीड़िता है। भले ही याचिकाकर्ता द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा **376** के अंतर्गत दायर अन्य आपराधिक मामलों को ध्यान में नहीं रखा जाता है**,** मामले में जहां **08.06.2002** को बलात्कार का आरोप लगाया गया था**,** आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा **376 (2) (**छ**)** के अंतर्गत **10** साल के लिए कारावास की सजा दी गई है। याचिकाकर्ता एक बलात्कार पीड़ित होने के नाते सभी अधिकारियों द्वारा बलात्कार पीड़ित के रूप में व्यवहार का हकदार है। बलात्कार पीड़ित को न केवल मानसिक आघात का सामना करना पड़ता है**,** बल्कि समाज से भेदभाव भी होता है।

1.2 याचिकाकर्ता के दो पुत्र और एक पुत्री है। आज की तारीख में याचिकाकर्ता का सबसे बड़ा पुत्र प्राप्तवय है और याचिकाकर्ता के दो बच्चे अभी भी अप्राप्तवय हैं। उपायुक्त**,** रांची को यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने का निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता के अप्राप्तवय बच्चों को रांची जिले के किसी भी सरकारी संस्थान में निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए**,** जहां याचिकाकर्ता रहती है**,** जब तक कि वे **14** वर्ष की आयु प्राप्त न कर लें।

निपुण सक्सेना और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2019) 2 एस. सी. सी. 703: [2018] 14 एस. सी. आर. 755-पर भरोसा किया।

2. दंड संहिता की धारा **228-**क**,** जिसे **1983** के संशोधन अधिनियम **43** द्वारा **25.12.1983** के प्रभाव से जोड़ा गया है**,** पीड़ित की पहचान के प्रकटीकरण को अपराध बनाती है। धारा **228** क के संबंध में विधि सुस्थापित है**,** प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों मीडिया सहित सभी को कानून का पालन करना पड़ता है।

3.1 बलात्कार पीड़ित के रूप में याचिकाकर्ता को मुआवजे के भुगतान के संबंध में**,** अतिरिक्त दस्तावेजों के साथ याचिकाकर्ता ने यह इंगित करने के लिए अभिलेख सामग्री लाई है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण**,** रांची द्वारा **100000/-** रुपये का मुआवजा देने का निर्णय लिया गया था। झारखंड पीड़ित प्रतिकर योजना**, 2012** के अंतर्गत**,** जैसा कि **2016** में संशोधित किया गया था मुआवजे के अनुदान पर विचार किया गया है।

3.2 दंड प्रक्रिया संहिता**, 1973** की धारा **357** क के अंतर्गत झारखंड राज्य में पहले से ही एक वैधानिक योजना लागू है**,** जो मुआवजे के अनुदान के लिए प्रक्रिया प्रदान करती है। याचिकाकर्ता ने उपरोक्त योजना के अंतर्गत मुआवजे की मांग के लिए पहले ही आवेदन कर दिया था और मुआवजे का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।

4. गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों और अन्य योग्य मामलों को आवासीय आवास प्रदान करने के लिए विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाएं हैं। रांची के उपायुक्त प्रधानमंत्री आवास योजना या केंद्र या राज्य की किसी अन्य योजना के अंतर्गत किसी भी आवास के आवंटन के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार कर सकते हैं।

5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक**,** रांची और अन्य सक्षम प्राधिकारी समय**-**समय पर याचिकाकर्ता को प्रदान की गई पुलिस सुरक्षा की समीक्षा करेंगे और उचित और उचित उपाय करेंगे।

6. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण**,** रांची याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर याचिकाकर्ता को विधिक सेवाएं प्रदान करेगा जो याचिकाकर्ता के हित की रक्षा के लिए उचित समझी जाए ।

संदर्भित निर्णय

[2018] 14 एससीआर **755** पैरा **17** पर विश्वास किया

सिविल मूल आधिकारिता :2019 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 1352।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

तपेश कुमार सिंह, आदित्य प्रताप सिंह, सुश्री भास्वती सिंह, अधिवक्ता, उत्तरदाताओं के लिए।

याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से

न्यायालय का निर्णय अशोक भूषण, न्यायाधीश द्वारा दिया गया

यह रिट याचिका एक बलात्कार पीड़िता द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है।

2. इस न्यायालय ने रिट याचिका पर विचार किया और 29.11.2020 को नोटिस जारी करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

> "नोटिस जारी करें।
>
> श्री तपेश कुमार सिंह, झारखंड राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता, प्रतिवादी/राज्य की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं। प्रत्यर्थी/राज्य को याचिकाकर्ता द्वारा या उसके खिलाफ शुरू की गई सभी कार्यवाही और उन कार्यवाही की स्थिति का विवरण देते हुए एक शपथपत्र दायर करें।
>
> हालाँकि, हम देखते हैं कि प्रतिवादी संख्या 3. गृह सचिव यह भी सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित पुलिस अधिकारियों को याचिकाकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए।
>
> चार सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें।

3. झारखंड राज्य की ओर से एक प्रतिशपथपत्र दायर किया गया है, जिस पर याचिकाकर्ता द्वारा उत्तर भी दायर किया गया है। याचिकाकर्ता ने कुछ अतिरिक्त दस्तावेज भी दाखिल किए हैं।

4. पक्षकारों की दलीलों से निम्नलिखित तथ्य सामने आएः

याचिकाकर्ता झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति होने का दावा करता है। याचिकाकर्ता का जन्म 24.12.1984 को हुआ था। 31.03.1998 को याचिकाकर्ता को बसंत यादव नाम का व्यक्ति ले गया। याचिकाकर्ता के पिता राजेंद्र बदायक ने शिकायत दर्ज कराई। बसंत यादव को 02.04.1998 को गिरफ्तार किया गया था। याचिकाकर्ता के पिता और संबंधित पुलिस स्टेशन की पुलिस ने याचिकाकर्ता का विवाह बसंत यादव के साथ करवा दिया। विवाह के एक साल बाद एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम मनीष यादव रखा था। याचिकाकर्ता ने अपने पति बसंत यादव के खिलाफ शिकायत के साथ-साथ भरण-पोषण का मामला भी दर्ज कराया।

5. याचिकाकर्ता ने बसंत यादव से तलाक ले लिया और बेटे की अभिरक्षा बसंत यादव को दे दी गई। 08.06.2002 को, बसंत यादव से अपने बेटे से मिलने के लिए कहने पर याचिकाकर्ता दुलतनगंज गई, उस दिन मोहम्मद अली और तीन अन्य आरोपियों ने उसके साथ बलात्कार किया था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (xi) के साथ पठित धारा 376/34 के अंतर्गत 2002 का मामला संख्या 162 दर्ज किया गया था जिसमें आरोपी मोहम्मद अली को गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमा चलाया गया।

6. 02.08.2005 को याचिकाकर्ता ने पुलिस उप महानिरीक्षक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376 (2) (क) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (1) (xii) के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई जिस पर 03.08.2005 को 2005 का मामला संख्या 304 दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता ने एक पुलिस महानिरीक्षक के खिलाफ एक प्राथमिकी भी दर्ज की, जिस पर सत्र परीक्षण संख्या 257/2006 दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा विभिन्न व्यक्तियों के खिलाफ कुछ अन्य आपराधिक मामले दर्ज किए गए, जिनमें से कुछ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत दर्ज किए गए थे। 2006 के सत्र परीक्षण 11 में, आरोपी मोहम्मद अली को 10 साल के कठोर कारावास दिया गया था।

7. पुलिस उपमहानिरीक्षक के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसे न्यायालय ने पुलिस महानिरीक्षक के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के रूप में स्वीकार कर लिया था, सत्र न्यायाधीश ने पुलिस महानिरीक्षक को 23.12.2017 के निर्णय और आदेश से बरी कर दिया, जिसके खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में आपराधिक अपील दायर की गई है। याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया था।

8. रिट याचिका में याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह बलात्कार पीड़िता होने के नाते, जिसकी पहचान मीडिया द्वारा प्रकट की गई थी और यह जानने के बाद कि याचिकाकर्ता एक बलात्कार पीड़िता है, कोई भी उसे किराए पर आवास देने के लिए तैयार नहीं है। रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने याचिकाकर्ता के पुनर्वास के मामले में इस न्यायालय की शरण ली। याचिकाकर्ता और उसके बच्चों के जीवन की रक्षा के लिए प्रतिवादी को निर्देश देने के लिए भी प्रार्थना करती है। याचिकाकर्ता ने अपने पहले पति से तलाक लेने के बाद राजेश कुजुर से शादी की, जिससे एक बेटा भी पैदा हुआ। याचिकाकर्ता ने अपने पति राजेश कुजुर के खिलाफ संख्या 56/2004 का आपराधिक मामला भी दर्ज किया है जिसमे उसे दोषमुक्त कर दिया गया।

9. याचिकाकर्ता ने विधिक नोटिस दिनांकित 09.08.201 की एक प्रति भी दायर की है जिसे याचिकाकर्ता के मकान मालिक ने किराए का भुगतान न करने के आधार पर याचिकाकर्ता को परिसर खाली करने के लिए कहा था। याचिकाकर्ता ने 05.12.2019 दिनांकित एक पत्र भेजा जिसमें कहा गया था कि मकान मालिक ने 04.12.2019 को घर को सील कर दिया था।

10. राज्य द्वारा प्रतिशपथपत्र में, राज्य ने 7 आपराधिक मामलों की स्थिति वाला एक सारणीबद्ध चार्ट दिया है जो याचिकाकर्ता द्वारा दायर किए गए थे। कंडिका 7 में उल्लिखित मामलों में से एक मोहम्मद अली के खिलाफ दायर किया गया मामला है। मोहम्मद अली को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (जी) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (1) (xii) के अंतर्गत दोषी ठहराया गया था। अन्य आपराधिक मामलों में या तो अभियुक्तों को बरी कर दिया गया या कुछ मामलों में मुकदमा लंबित है। याचिकाकर्ता द्वारा दर्ज की गई दो प्राथमिकियों में, वर्ष 2018 में धारा 354 (ii) के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 448 और 506 के अंतर्गत जांच जारी है।

11. याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से पेश हुई है। झारखंड राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री तपेश कुमार सिंह पेश हुए हैं।

12. याचिकाकर्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता के बलात्कार पीड़ित होने के कारण उसे परिवार के दोस्तों या समाज से कोई सहायता नहीं मिल रही है। तीन बच्चों के साथ, उसके पास जीविका का कोई साधन नहीं है और वह अपने बच्चों को शिक्षा देने में सक्षम नहीं है। प्रशासन, मीडिया और समाज ने याचिकाकर्ता को भविष्य में बिना किसी सुरक्षा, बिना किसी नौकरी और बिना किसी आश्रय के जीवन जीने के लिए विवश किया है।

13. राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री तपेश कुमार ने कहा कि याचिकाकर्ता ने कई लोगों के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाते हुए विभिन्न प्राथमिकियां दर्ज कराई हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ पुलिस के सहायक उप-निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत एक लिखित रिपोर्ट के आधार पर शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1-बी) ए के अंतर्गत अपराध करने के लिए 2002 के पलामू सदर पुलिस मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप पत्र भी दायर किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि 02.10.2019 के बाद से एक सशस्त्र महिला कांस्टेबल, अर्थात् सुमन सुरिन को उसकी सुरक्षा के लिए रिट याचिकाकर्ता के साथ प्रतिनियुक्त किया गया है।

14. यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि राज्य ने याचिकाकर्ता की सुरक्षा व्यवस्था करने का ध्यान रखा है और दिनांक 06.01.2020 के आदेश के अनुसरण में रिट याचिकाकर्ता के साथ एक अन्य सुरक्षाकर्मी को प्रतिनियुक्त किया गया है। हालाँकि, विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि पुलिस प्राधिकारी को उस संबंध में उचित उपाय करने के लिए समय-समय पर सुरक्षा की समीक्षा करने की अनुमति दी जा सकती है। श्री सिंह ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता को कई व्यक्तियों और अधिकारियों के खिलाफ झूठे आरोप लगाने की आदत है। हाल ही में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत अपराधों के आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज की गई है। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने सुबोध ठाकुर का पूर्व आवास खाली कर दिया है।

15. हमने याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत के साथ-साथ राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता से सुना है।

16. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता बलात्कार पीड़िता है। भले ही हम याचिकाकर्ता द्वारा भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 376 के अंतर्गत दायर अन्य आपराधिक मामलों को ध्यान में न रखें, प्रकरण संख्या 162/2002 में जहां 08.06.2002 आरोपी पर बलात्कार का आरोप लगाया गया था, मोहम्मद अली को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 376 (2) (जी) के अंतर्गत 10 साल के लिए दोषी ठहराया गया है। याचिकाकर्ता एक बलात्कार पीड़ित होने के नाते सभी अधिकारियों द्वारा बलात्कार पीड़ित के रूप में व्यवहार का हकदार है।

17. बलात्कार पीड़ित को न केवल मानसिक आघात का सामना करना पड़ता है, बल्कि समाज से भेदभाव भी होता है। हम निपुन सक्सेना और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, (2019) 2 एस. सी. सी. 703 में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां की गई थीं:

> "12. बलात्कार पीड़ित व्यक्ति को समाज में हेय दृष्टि, भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा। ऐसे पीड़ित को नौकरी पाने में कठिनाई होगी, शादी करने में कठिनाई होगी और एक सामान्य मनुष्य की तरह समाज समाज के साथ चलने में भी कठिनाई होगी।....."

18. याचिकाकर्ता ने स्वयं 2014 की रिट याचिका (सी. आर.) संख्या 229 (पद्मा @सुश्मा बदैक बनाम झारखंड राज्य और अन्य) याचिकाकर्ता द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया, उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12/11.09.2015 में जहां राज्य की ओर से अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया था कि राज्य रिट याचिकाकर्ता के बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए तैयार है। 12/11.09.2015 को उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया बयान निम्नलिखित है:

> "राज्य के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि राज्य रिट याचिकाकर्ता के बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए तैयार है।यदि वह अपनी सहमति देगी, तो उसके बच्चों को सरकारी आवासीय विद्यालय, गुमला में भर्ती कराया जाएगा और खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। "

19. याचिकाकर्ता के दो बेटे और एक बेटी है। ऐसा प्रतीत होता है कि मनीष यादव का जन्म वर्ष 1998 में शादी के एक साल बाद हुआ था, सबसे बड़ा बेटा, इस प्रकार, आज की तारीख में बालिग है, याचिकाकर्ता के दो बच्चे अभी भी नाबालिग हैं।

20. न्यायालय द्वारा इस बात की जांच किए जाने पर कि याचिकाकर्ता के नाबालिग बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करने का अधिकार किसके पास है, विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि यह उपायुक्त, रांची है जो यह सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय कर सकता है कि याचिकाकर्ता के नाबालिग बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाए।राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि झारखंड राज्य में 14 वर्ष की आयु तक की शिक्षा निशुल्क है जो राज्य द्वारा प्रदान की जाती है। इस प्रकार, हमारा विचार

है कि उपायुक्त यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएंगे कि याचिकाकर्ता के नाबालिग बच्चों को रांची के किसी भी सरकारी संस्थान में मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाए।

21. याचिकाकर्ता ने अपनी पहचान के बारे में भी शिकायत की है जिसका प्रकटीकरण मीडिया ने किया है। याचिकाकर्ता ने रिट याचिका और अतिरिक्त दस्तावेजों के साथ कुछ सामग्री प्रस्तुत की है। भारतीय दंड संहिता की धारा 228-क, जिसे 1983 के संशोधन अधिनियम 43 द्वारा भारतीय दंड संहिता में 25.12.1983 के प्रभाव से जोड़ा गया है, पीड़ित की पहचान का प्रकटीकरण एक अपराध है।धारा 228-ए इस प्रकार हैः

" धारा 228क. कतिपय अपराधोंआदि के पीड़ित की पहचान का प्रकटीकरण-(1) जो कोई भी नाम या कोई ऐसा मामला छापता या प्रकाशित करता है जो किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान को ज्ञात कर सके जिसके खिलाफ धारा 376, धारा 376 ए, धारा 376 बी, धारा 376 सी या धारा 376 डी के अंतर्गत अपराध का आरोप लगाया जाता है या किया गया पाया जाता है (इसके बाद इस धारा में पीड़ित के रूप में संदर्भित) उसे किसी भी विहित कारावास से दंडित किया जाएगा जो दो साल तक की अवधि के लिए हो सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(2) उप-धारा (1) की कोई बात उस नाम के किसी मुद्रण या प्रकाशन या किसी ऐसे मामले पर लागू नहीं होती है जो पीड़ित की पहचान को ज्ञात कर सके यदि ऐसा मुद्रण या प्रकाशन-(क) पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी या ऐसे जांच के प्रयोजनों के लिए सद्भावना से कार्य करते हुए ऐसे अपराध की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी के लिखित आदेश द्वारा या उसके अंतर्गत किया गया हो; या

(ख) पीड़ित द्वारा, या लिखित प्राधिकार के साथ; या

(ग) जहां पीड़ित मृत या नाबालिग है या अस्वस्थ मस्तिष्क का है, पीड़ित के अगले रिश्तेदार द्वारा या लिखित प्राधिकार के साथः

बशर्ते कि ऐसा कोई प्राधिकरण किसी भी मान्यता प्राप्त कल्याणकारी संस्थान या संगठन के अध्यक्ष या सचिव के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाए, निकट संबंधियों द्वारा नहीं दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण .—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, "मान्यता प्राप्त कल्याणकारी संस्था या संगठन" का अर्थ है केंद्र या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में मान्यता प्राप्त सामाजिक कल्याण संस्था या संगठन।

(3) जो कोई ऐसे न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही के संबंध में किसी मामले को छापता या प्रकाशित करता है, उसे किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा जो दो साल तक बढ़ सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण —किसी भी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का मुद्रण या प्रकाशन इस धारा के अर्थ के अंतर्गत अपराध की कोटि में नहीं आता है। "

22. निपुन सक्सेना और एक अन्य (पूर्वोक्त) मामले में इस न्यायालय के पास धारा 228-क पर विचार करने का अवसर है जिसमें इस न्यायालय ने पैरा 50.1 में निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैंः

" 50.1.कोई भी व्यक्ति पीड़ित का नाम प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया आदि में प्रिंट या प्रकाशित नहीं कर सकता है या यहां तक कि दूरस्थ तरीके से भी ऐसे किसी भी तथ्य का प्रकटीकरण नहीं कर सकता है जिससे पीड़ित की पहचान की जा सके और जिससे उसकी पहचान बड़े पैमाने पर जनता को पता चल सके। "

23. धारा 228क के संबंध में विधि सुस्थापित है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों मीडिया सहित सभी को विधि का पालन करना चाहिए।

24. बलात्कार पीड़ित के रूप में याचिकाकर्ता को मुआवजे के भुगतान के संबंध में, अतिरिक्त दस्तावेजों के साथ याचिकाकर्ता ने यह इंगित करने के लिए रिकॉर्ड सामग्री लाई है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रांची द्वारा 100000/- रुपये का मुआवजा देने का निर्णय लिया गया था। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रांची के पत्र को याचिकाकर्ता ने स्वयं रिकॉर्ड में लाया है। झारखंड पीड़ित मुआवजा योजना, 2012 के अंतर्गत मुआवजे के अनुदान पर विचार किया गया है, जैसा कि 2016 में संशोधित किया गया था।

25. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 357 क झारखंड राज्य में पहले से ही एक वैधानिक योजना लागू है, जो मुआवजे के अनुदान के लिए प्रक्रिया प्रदान करती है। याचिकाकर्ता ने उपरोक्त योजना के अंतर्गत मुआवजे की मांग के लिए पहले ही आवेदन कर दिया था और मुआवजे का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।

26. अगली शिकायत जो याचिकाकर्ता द्वारा उजागर की गई है, वह है याचिकाकर्ता की बलात्कार पीड़िता होने के कारण रांची में कोई किराए का आवास प्राप्त करने में असमर्थता।राज्य द्वारा दायर जवाबी-हलफनामे में, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता कई/अलग-अलग स्थानों पर रही है, लेकिन मकान मालिक के साथ विवाद के कारण उसे परिसर छोड़ना पड़ा है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों और अन्य योग्य को आवासीय आवास प्रदान करने के लिए विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाएं हैं, रांची के उपायुक्त प्रधानमंत्री आवास योजना या केंद्र या राज्य की किसी अन्य योजना के अंतर्गत किसी भी आवास के आवंटन के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार कर सकते हैं।

27. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित निर्देशों के साथ इस रिट याचिका का निपटारा करते हैं:

(1) उपायुक्त, रांची को यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने का निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता के नाबालिग बच्चों को रांची जिले के किसी भी सरकारी संस्थान में मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाए, जहां याचिकाकर्ता 14 वर्ष की आयु तक रह रहा है।

(2) रांची के उपायुक्त प्रधानमंत्री आवास योजना या किसी अन्य केंद्रीय या राज्य योजना के अंतर्गत घर प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर भी विचार कर सकते हैं जिसमें याचिकाकर्ता को आवास प्रदान किया जा सकता है।

(3) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रांची और अन्य सक्षम प्राधिकारी समय-समय पर याचिकाकर्ता को प्रदान की गई पुलिस सुरक्षा की समीक्षा करेंगे और उचित उपाय करेंगे।

(4) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रांची याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर याचिकाकर्ता को विधिक सेवाएं प्रदान करेगा जो याचिकाकर्ता के हित की रक्षा के लिए उचित समझी जा सकती हैं।

याचिका का निपटारा किया गया।